


आधुनिक युग में मध्ययुगीन स्थिति का संवाहकः कन्या भ्रूणहत्या



कभी सोचा ही नहीं था कि स्त्री को भिखारियों की बराबरी पर रख दिया जाएगा, क्या इसलिए ही इतने मंत्र श्लोक रचे गए हैं, जिसमें नारी की पूजा का ढिंडोरा पीटा जाता है जो बढ-चढ कर जयगान करते हैं वे ही दिल खोलकर निंदा करते हैं।

मानव जाति के जन्म, उत्थान एवं प्रेरणा की दात्री, सहचरी एवं सहधर्मिणी के रूप में जीवन-यात्रा को सफल, सुगम तथा समृद्धिमय बनाने वाली माता, कन्या, बहन एवं पत्नी के रूप में त्याग की प्रतिमूर्ति नारी की महत्ता मानव जाति के साथ बराबर मान्य है। अधिकारी की अधिकारिणी ने अपनी शक्ति एवं सुव्यवस्था के द्वारा सम्पूर्ण पर अधिकार एवं प्रमुख जमाया, किन्तु समाज के उत्थान एवं पतन के साथ मान-सम्मान, अपमान एवं तिरस्कार अपेक्षा एवं उपेक्षा के तमाम रास्ते भी उसने तय किए हैं। कभी व्यापक मार्ग तो कभी पतली गली का रास्ता उसे दिखाया गया है।

ईश्वर ने सृष्टि रचते वक्त स्त्री-पुरुष में कोई भेद-भाव नहीं किया। मनुष्य ने अपनी सहूलियत के लिए काम बाँट लिए, धारे-धीरे साथ में अधिकार भी बाँट गए। स्त्री गामी और उसने दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। दरवाजे पूरी तरह खुले भले न हो लेकिन ताजी हवा आने लायक झरोखा जरूर बन गया है।

Bangabasi Morning College 19, Rajkumar Chakaraborty Sarani Kolkata – 9
E-mail : tulikachakravorty1@gmail.com

हो सकता है कि कुछ लोग हमारी बुद्धि पर संशय करें लेकिन यह तय है कि जब देश के बुद्धिजीवी किसी समस्या को लेकर चींखते हैं तब उसे हम समस्या नहीं बल्कि समस्याओं या सामाजिक विकारों का परिणाम मानते हैं। इस देश में गर्भ में कन्या की हत्या करने का फैशन करीब बीसों साल पुराना हो गया है कन्या भ्रूण हत्या के ज्यादा मामलें शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर दिख रहे हैं।

कदाचित् कन्या भ्रूण हत्या स्त्री-जाति के विरुद्ध जघन्यतम अपराध है। कन्याओं का उनकी माँओं की कोख में क्रूरवध मनुष्यता को शर्मसार करने वाला कृत्य है। खेद की बात है कि भारत में कठोर कानूनी प्रावधानों के बावजूद स्त्रियों को समूल नष्ट करने का सुनियोजित षडयंत्र धड़ल्ले से चल रहा है।

राजपूतानों में एक परंपरा थी कि वे अपना सिर किसी के सामने झुकने देना नहीं चाहते थे। इस कारण वे कन्या के जन्म होते ही उन्हें मार डालते थे। उस समय भ्रूण हत्या नहीं होती थी क्योंकि उस समय इसकी जाँच करने की कोई मशीन का निर्माण ही नहीं हुआ था। यह सिलसिला प्रारंभ हुआ जब देश में गर्भ में भ्रूण की पहचान कर सकने वाली अल्ट्रासाउण्ड मशीन का चिकित्सकीय दुरुपयोग प्रारम्भ हुआ। दरअसल पश्चिम के वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार गर्भ में पल रहे तथा अन्य लोगों के पेट के दोषों की पहचान कर उसका इलाज करने की नीयत से किया था। भारत में निजी चिकित्सालयों में भी इसी उद्देश्य को लेकर इस मशीन को उपयोग में लाया गया लेकिन जिस तरह इसका दुरुपयोग गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण कराकर कन्या-भ्रूण हत्या का फैशन प्रारम्भ हुआ और ऐसी स्थिति में समाज की स्थिति बिगड़ गई।

सभ्य तथा मध्यवर्गीय समाज में कितनी कन्या भ्रूण हत्याएं हुई इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। सभी दंपतियों के विषय में तो यह बात नहीं कहा जाना चाहिए लेकिन पहली संतान यदि लड़की है और दूसरी के रूप में लड़का और दोनों के बीच उम्र का अंतर अधिक है तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं भ्रूण हत्या हुई है ऐसा एक सामाजिक विशेषज्ञ ने अपने लेख में लिखा था।

बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बेटी ऐसा पौधा है, जिसे ताउम्र पैसों से सींचना पड़ता है, लिहाजा बचपन से ही उनके पालन-पोषण में कटौती की शुरुआत हो जाती है। इसका एक उपाय और भी है उनका गला गर्भ में ही घोंट दिया जाए। भ्रूण-हत्या के कारण दहेज-प्रथा कम होने की आशा की जा रही थी यह वर्षों का सिलसिला है और दहेज-प्रथा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शादी का संस्कार बाजार नियम पर आधारित है अर्थात् धर्म और संस्कार की बात एक दिखावे के लिए है।

जनगणना - 2011 के आंकड़े

जनगणना - 2011 के आंकड़ों की की पड़ताल कर लेना आवश्यक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या एक अरब इक्कीस करोड़ हो गई है, इसमें पुरुषों का प्रतिशत 51.54% और स्त्रियों 48.46 % है। राष्ट्रीय लिंगानुपात की बात करें तो यह किंचित वृद्धि के साथ 940 स्त्री प्रति 1000 पुरुष दर्ज किया गया है, परन्तु 0-6 वर्ष तक के बच्चों में लिंगानुपात केवल 914 है। आशय यह है कि पिछले दशक में भी लगातार लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को प्राथमिकता दी गई है। यों तो 0 से 6 के आयु समुह का लिंगानुपात निरंतर घट रहा है, किन्तु 2011 में बच्चों के लिंगानुपात में स्वाधीनता के बाद से सर्वाधिक देखी गई है। आंकड़ें तब मौन हो जाते हैं, जब लिंगानुपात शिक्षा और आर्थिक समृद्धि से सहसंबंध स्थापना का प्रश्न खड़ा हो जाता है। वस्तुतः हमारी चिंता का केंद्रबिंदु भी यही है, अपसांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं तत्जनित मनोवृत्ति के तह में उतरे बिना विषवृक्ष का मूलच्छेद नहीं किया जा सकता।

गैर सरकारी संगठन की ओर से किए गए अध्ययन में भी अब तक की धारणाओं को ध्वस्त करते हुए बताया गया है कि कन्या - भ्रूणहत्या के ज्यादा मामले शहरी क्षेत्रों में सामने आ रहे हैं और इसमें पता चलता है कि समाज की आँख में बदलाव लाने की ज्यादा जरूरत है। बालमन के संयोजक अंशु बिना पढ़े-लिखे लोगों का काम होता है, पर अब लगातार आ रहे आंकड़ें बता रहे हैं कि शहरों में यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अंशु के मुताबिक एवं दैनिक समाचारों के माध्यम से हम सुनते हैं कि देश के कितने बड़े-बड़े शहरों में अस्पतालों के आस-पास कचरे के ढेर में नालों में, कन्या-भ्रूण मिलते हैं। इसकी जाँच भी होती है लेकिन वही ढाक के तीन पात ! जाँच की रिपोर्ट उन्हीं कचरे के डिब्बे में ही चली जाती है। इन सबका सिर्फ कानून ही नहीं है, हमारी मानसितका भी है, सिर्फ 10 फीसदी महिलाएं यह जानकर खुश होती हैं कि उनकी बहु ने बेटी को जन्म दिया है। ऐसे में लड़कियों को दुनिया में आने से रोकने के लिए कितने यत्न होते हैं इसे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। भारतवर्ष में स्त्रियों की दशा से एक रचना फरवरी 1983ई० में बिहार बंधु में छपी।

धर्मशास्त्रों में नारी

अस्तु, यत्र नार्यस्तु पुजयन्ते, रमन्ते तत्र देवताः का उद्घोष करने वाले देश भारत की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। वस्तुतः हमारे धर्मशास्त्रों में नारी के प्रति श्रद्धा और पूजनीय भावनाओं को व्यक्त करने वाले ऐसे वाक्य तो अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं, किन्तु नारी नरक का द्वार है जैसे उद्धरण सहस्त्रों की संख्या में यत्र-तत्र-सर्वत बिखरे पड़े हैं। वैसे भी पूजा तो उस बलि पशु की भी होती है, जिसे यजमान अपनी स्वार्थसाधना के निमित्त घोर यातनाएं देकर मार डालता है। अतः कन्या भ्रूणहत्या के रूप में आज हम जिस मानवीय त्रासदी से दो-चार हो रहे हैं, उसकी जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं। सदियों से परत-दर-परत जमी सड़ंध ही आज हमारी साँसों का प्रश्न बन गई है।

निःसंदेह पुत्रेषणा भारतीय जनमानस की मूलच्छाओं में सर्वप्रथम है। कहते हैं कि बिना पुत्र के स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती और यदि दैवयोग से हो भी जाए तो तर्पण-श्राद्ध और जलदान के अभाव में वहाँ भी शांति नहीं मिलती। पुत्र के बिना संपत्ति के अधिकार की भी चिंता रहती है - दुःसह और दुःख और अन्धक प्रयत्नोपार्जित धन-सम्पदा का ममेतर प्राणी बोग करे, इससे अधिक मनस्ताप की बात और क्या हो सकती है? हम पुरासंस्कारों से पुत्र को अपना रूप समझते हैं ऐत्मा वै जायते पुत्रः। अतः उसके द्वारा संपत्ति के भोगे जाने की कल्पना से ही पुलक-रोमांच से बर उठते हैं। आत्म-सम्बन्ध की इसी भावना से प्रेरित होकर लोग आने वाली सात पीढ़ियों तक का प्रबंध कर जाते हैं। पुत्र की आवश्यकता वृद्धावस्था में सहारा देने व सेवा करने के ले भी है - अधिकांश विचारकों के अनुसार यह अकाट्य तर्क है। जहाँ तक भारतीय संस्कृति और उसकी परंपरा का प्रश्न है, तो हमें यह विरासत में मिला है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती। इसीलिए वेद, कन्या-शिशु को अनिच्छित-अवांछित बताते हैं। वेदों में पुत्र प्राप्ति के लिए संस्कार विशेष का विधान है, जो पुंसवन-संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि - हे प्रजाति। तुम्हीं ने इस गर्भ को बनाया है, कन्या का जन्म कहीं और हो, इस गर्भ से पुत्र ही उत्पन्न हो।

इसी प्रकार एक अन्य संदर्भ में गर्भ-संरक्षण के लिए आहवाहन किया गया है - हे पति। उत्पन्न होने वाले पुत्र की रक्षा करो, उसे कन्या न बनाओ यजुर्वेद के व्याख्यान शतपथ ब्राह्मण (5/3/2/2) में पुत्रहीन स्त्री को अत्यन्त बुरा-भला कहते हे उसे अभागिन कहा गया है। पुत्र ही पैदा हो ऐसी अकुलाहट ऋग्वेद में भी देखी जा सकती है, जहाँ नवपरिणीता वधू को दस पुत्रों की माँ होने का आशिर्वाद दिया गया है (ऋग्वेद 10/84/85)। वैदिक काल की यह लाजस्पद परम्परा आज भी अविचल प्रचलित है। पुत्रवान भव अथवा पुत्रवती भव ही शुभाशीष है, इसके विपरीत बोलना आफत मोल लेना है।

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल, सूक्त 125 में आता है राजा स्वनय ने अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर अपने जमाता को आभूषणों से अलंकृत दस कन्याएँ, दस रथ, चार-चार के दल में चलने वाले सुदृढ़ देह वाले घोड़े, धन, धातु के बर्तन, बकरियाँ, भेड़ें, सौ कण्ठाभूषण, एक हजार साठ गौएँ और सौ बैल दिए।.....

सदियों से ऐसे कुसंस्कारों को सहेजे तथाकथित आधुनिक भारतीय समाज यदि विज्ञान की प्रयोगशालाओं में गर्भस्थ-शिशु का लिंग परीक्षण कराकर अर्थात् कन्या भ्रूणहत्या की पहचान कराकर उसे वही नष्ट-निर्मूलकर की सनातन शत्रु बनी हुई है। पुत्रोत्पत्ति ही उनकी जीवनोपलब्धि की एकमेव कसौटी है। गुण-सूत्र संबंधी स्थापित वैज्ञानिक तथ्य को दरकिनार करते हुए वे कन्या को जन्मने का लांछन अपने माथे पर ले लेती हैं और प्रायः भ्रूणहत्या के कुकृत्य में भी पुरुष की अर्द्धांगिनी व संगिनी बनती है।

इक्कीसवीं सदी का पहला दशक

इक्कीसवीं सदी के पहले दशक तक देश की स्त्रियों के लेकर उत्थान की बहुत सी उम्मीदें जगा ली गईं हैं और इस कारण देश तरक्की के रास्ते चल पड़ा है। मानव की सर्वश्रेष्ठ संस्था का नाम है परिवार। परिवार से ही सभ्य जीवन की शुरुआत होती हुई। परिवार उजड़ा कि सभ्यता के उजड़ते देर नहीं लगती। पश्चिम अर्थात् यूरोप-अमेरिक में परिवार नष्ट हो गया है तो समझदार लोग कह रहे हैं कि आज की सभ्यता, जो अधिकांशतः पश्चिम की देन है, मरणासन्न भारत में एक सुखी परिवार का अर्थ होता है सुखी राष्ट्र। हमारे परिवार की कर्णधार एक स्त्री है, जिसे हम माँ के रूप में स्वीकार करते हैं। सबसे बड़ी देवता है माता, जो एक स्त्री है।

महिलाओं ने कामयाबी की नई इबारत लिखी है लेकिन सफर अभी जारी है। इन्हें अपनी कमियाँ पहचानकर उन्हें दूर करना है और अपनी कल्पना को नए आयाम देना है। एक तरफ है महिला राष्ट्रपति और दूसरी तरफ मार दी जाने वाली बेटियाँ, गर्व और ग्लानि के दो धुवों के बीच में बड़े महिलाओं के सफर में रुकावट बहुत है फिर भी अगर परिवार के अन्य सदस्य जिम्मेदारियाँ बाँट लें उनको प्रोत्साहन दें तो कोई रुकावट उनको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।

दिल्ली ही नहीं दूसरे राज्यों में भी बेटियों के आगे बढ़ाने के लिए योजनाएँ लागू की गई हैं। भ्रूणहत्या को रोकने के उद्देश्य से सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग ने शहर में अवैध ढंग से संचालित अल्ट्रासाउण्ड सेंटरों के विरुद्ध अभियान चलाने का निर्णय लिया है। हर वर्ष महिलाओं का जन्म दर घटने से बढ़ी चिंता के बाद 1994 में प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (विनियमन तथा दुरुपयोग निवारण), के माध्यम से लिंग परीक्षण पर रोक लगा दिया गया है। ताकि भ्रूणहत्या जैसी वारदातें रुक सके।

एक समय अंग्रेजी का यह जुमला बहुत मशहूर हुआ था “Law will take its own course” अर्थात् कानून अपना काम करेगा। भ्रूण के लिंग परीक्षण पर रोक, दहेज निवारण जैसे दण्डकारी कानून, अपनी जगह दुरुस्त हो सकते हैं और इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि वे एक हद तक ही सही अपना काम कर भी रहे हैं। किंतु इस दुष्कृत्य से सर्वांश में मुक्ति तभी मिल सकेगी, जब हमारी सोच में क्रान्तदर्शिता आए। अपना मूल्य खो चुकी रुढ़ियों को तिलांजलि देनी होगी, शासकीय योजनाएँ एवं प्रोत्साहन तब तक असफल साबित होते रहेंगे, जबतक समाज आमूल चूल परिवर्तन के लिए तत्पर नहीं होगा। बेहद खुशी की बात है कि इस देश में यद्यपि हाशिए पर खड़ी ऐसी भी सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं, जो मातृशक्ति से संचालित एवं संवर्द्धित होती हैं। जनगणना 2011 के आँकड़े इस बात के ज्वलन्त प्रमाण हैं कि यहाँ लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में है। क्या तथाकथित आधुनिक भारतीय सभ्य समाज इनसे नसीहत लेगा ?

कन्या भूणहत्या के विरोध में लिखी कविता

ना मुझे याज रखना ना मेरा नाम रखना
बस मेरा पैगाम याद रखना, कन्या भूण हत्या तुम कभी न करना
भावीजननी, बहन और बहू बेटियों की जन्म से पहले हत्या न करना
नहीं तो यह संसार विकृत हो जाएगा, तो फिर वारिस कहाँ पाएगा
एक दिन फिर ऐसा आएगा दुनिया में न नर मिलेंगे और न नारी मिल पाएगी
मानव का सिर्फ नाम रह जाएगा तो फिर मानक का भविष्य कौन बढ़ाएगा
क्या इतिहास पुनः दुहराना होगा,
आदम और स्वतंत्रता को फिर से धरती पर आना होगा
पूँछ वाले मानव फिर आएंगे, वृक्षों के पत्ते और जानवर की खाल पुनः पहनना होगा।
क्या पत्थर के हथियार फिर से बनाना होगा।
कच्चे मांस चबाना होगा
या मांस आग में भूनकर खाना होगा,
क्या पुनः असभ्य कहना होगा,
क्या एक बाद आदमी को फिर पाषाण युग में जाना होगा
इसलिए मैं कहता हूँ कि कन्या भूण हत्या ना करना, नहीं तो फिर पछताना
यदि नारी नहीं होगी तो नर कहाँ से आएगा, क्या तू अपनी जननी का नामों निशान मिटाएगा।

(CGNET Swara को प्रेषित श्री एस० पी० जायसवाल की एक कविता)

संदर्भ :-

The Hindu Daily, "Female Feticide on the rise in state", Feb, 26, 2004

- India's National online Newspaper, "Concern at Female feticide". April17, 2005
- Census of India, 2001
- Census of India, 2011
- ऋग्वेद - (10/84/85)
- यजुर्वेद - (5/3/2/2)
- अथर्व वेद - (6/11/3)
- महाभारत का आदिपर्व अ.220